समाचार-प्रकाषनार्थः-

स्वच्छता में सहयोग भी देशभक्ति और जनसेवा है-श्रीसोंलकी
स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत के र ववार को युवाओं ने लया
स्वच्छ और सुंदर रतलाम बनाने का संकल्प

रतलाम 14 फरवरी । महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था जिसके लए वह चाहते थे क भारत के सभी नागरिक एक साथ मलकर देश को स्वच्छ बनाने के लए कार्य करें। स्वच्छता कार्य में सहयोग करना भी देशभक्ति और जनसेवा से जुड़ा काम है। अगर हर नागरिक वशेषकर युवा स्वच्छता में भागीदारी निभाएगें तो रतलाम स्वच्छ के साथ ही स्वस्थ्य भी रहेगा।

उक्त वचार र ववार को डीआरपी लाईन में आयोजित स्वच्छता संकल्प देश का वषय पर आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के सहायक आयुक्त श्री वकास सोंलकी ने व्यक्त कए।

श्री सोंलकी ने कहां क हमारा उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है अ पतु नागरिकों की सहभा गता से अ धक-से अ धक पेड़ लगानाए कचरा मुक्त वातावरण बनानाए शौचालय की सु वधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। अस्वच्छ भारत की तस्वीरें भारतीयों के लए अक्सर श र्मंदगी की वजह बन जाती है इस लए स्वच्छ रतलाम शहर के निर्माण यह सही समय एवं अवसर है।

इस मौके पर प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी एम.के जैनए स्वच्छता निरीक्षक करण चौहानए पर्वत हाड़ाए महिला एवं बाल वकास वभाग की वरिष्ठ पर्यवेक्षक एहतेशाम अंसारीए वनिता संधु और श्रीमती बरखा ने भी संबो धत कर रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में नम्बर-1 बनाने का संकल्प उपस्थित युवाओं को दिलाया।

स्वच्छता सुपर स्टार सम्मानित हुए

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत आयोजित इस जागरुकता कार्यक्रम में एक दर्जन से ज्यादा स्वच्छता सुपर स्टारों को सम्मानित कया गया। जिनमें वनिता बोरासीए जयश्री झवेरियाए दिव्याए रानी सेनए गायत्री खण्डेलवालए पप्पूजी निसाद को सम्मान के रुप में इन्हे शील्ड व प्रमाणपत्र अति थयों ने भेंट कए गए।

रांगोली निर्माण भी जारी

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक किया जा रहा है।

रविवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर विक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना

दो बत्ती क्षेत्र में 8 फुटकर व्यापारियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 14 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकोंए दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है किन्तु नगर के सब्जीए फल-फुरट सहित अन्य सामग्री के फुटकर विक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार दो बत्ती क्षेत्र के फुटकर व्यापारी द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत सुदर्षन पर 200ए गणपतरामए देवेन्द्रए गोविन्दए संतोशए विषालए मंगल व रिंकू पर 100.100 रूपये का जुर्माना कर भविश्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईष दी गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

गंदगी पाये जाने पर 3 वार्ड दरोगा व 1 ड्रायवर को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 14 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार पोलोग्राउण्ड क्षेत्र में गंदगी पाये जाने पर वार्ड दरोगा अमर चौहानए ठंकाला रोड़ क्षेत्र में गंदगी पाये जाने पर वार्ड

दरोगा राकेष लड्डू ए महू रोड बस स्टैण्ड क्षेत्र में गंदगी पाये जाने पर वजय भाटी व वसीम का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कया गया।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वेदव्यास कालोनी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 25ए09ए144६. संपत्तिकर व 6ए38ए470६. जलकर जमा कराया

रतलाम 14 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६. व जलकर 6ए000६.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६. व जलकर 55ए775६.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्विि र में संपत्तिकर 2ए38ए000६. व जलकर 49ए010६.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६. व जलकर 43ए670६.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६. व जलकर 29ए280६.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६. व जलकर 19ए850६.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६. व जलकर 48ए220६.ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६. व जलकर 14ए000६.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६. व जलकर 86ए540६.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६. व जलकर 3ए76ए905६.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६. व जलकर 76ए470६.ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६. व जलकर 47ए595६.ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६. व जलकर 22ए680६.ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६. व जलकर 55ए320६.ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६. व जलकर 59ए500६. की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित

 ष वरों मेें 25ए09ए144६. संपत्तिकर व 6ए38ए470६. जलकर की रा ष जमा कराई।
वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 के लये 15 फरवरी को वेदव्यास कालोनीए वार्ड क्रमांक 22 के लये 16 फरवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।
निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 14 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 14 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 14 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए

चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/14ण02ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.